227

उत्तराखण्ड शासन
राज्य पुनर्गठन विभाग
संख्या– /XXXVII/15–23/2007टी.सी.
देहरादूनः दिनांक 09 अप्रैल, 2015

## विज्ञप्ति

भारत सरकार के पत्र सं–27(C)/33/2005–SRS, दिनांक 27.03.2015 के कम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकारो के मध्य सहमति के आधार पर, उन कर्मचारियों, जिन्हें प्रशासनिक अथवा कानूनी अड़चनों के कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका था, के आवंटन के दिशा–निर्देशों में संशोधन के लिए निम्नलिखित सिद्वांतों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। ये दिशा–निर्देश दिनांक 13.09.2000 को अंतिम आवंटन के लिए जारी किए दिशा–निर्देशों तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के इस सीमा तक संशोधन के उपरान्त हैं।

**आबंटन के सिद्वांत**

**1. पात्रता**

वे सभी कर्मचारी, जो प्रशासनिक एवं कानूनी बाधाओं के कारण उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, यह लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस लाभ के लिए हकदार नहीं होंगीः

(1) वे कर्मचारी जिनके विरूद्व विभागीय जांच अथवा खुली सतर्कता जांच लंबित हो। तथापि, जांच के अंतिम परिणाम आने तक ऐसे कर्मचारियों को भी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने, उन्हें आबंटित राज्य के संबंध में संशोधन करने के लिए पारस्परिक स्थानान्तरण, दाम्पत्य नीति, चिकित्सकीय व्यथा, अ.जा./अ.जा.जा. नीति इत्यादि जैसे किसी विशेष प्रावधान का पहले ही उपयोग कर लिया हो।

(3) पर्वतीय उप–संवर्ग के कर्मचारी तथा पर्वतीय क्षेत्र अथवा पर्वतीय क्षेत्र की परियोजनाओं में नियोजित कर्मचारी।

(4) दिनांक 9.11.2000 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त किये गये कर्मचारी।

**2– पदों का स्थानान्तरण**

इस योजना के अंतर्गत जितने कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा उतनी ही संख्या में रिक्त पदों को उत्तराखण्ड राज्य में स्थानांतरित किया जायेगा, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी इसी प्रकार की प्रकिया अपनाई जाएगी। संबंधित राज्य इस प्रकार हस्तान्तरित किये गये इन पदों के लिए नए सिरे से भर्ती कर सकेंगे।

**3– कर्मचारियों की सहमति**

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा विकल्प दिये गये राज्य को स्वतः ही पुनः आवंटन/प्रत्यावर्तन नहीं किया जायेगा। संबंधित राज्य सरकार समयबद्व रीति से लिखित रूप में संबंधित कर्मचारी की सहमति प्राप्त करेगी। यदि किसी कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी अपने अदालती मामले को वापस लेगा तथा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उसे इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.....

**4– वरिष्ठता का निर्धारण**

पुनः आवंटित किये जाने के इच्छुक कार्मिकों को उनके द्वारा विकल्प दिये गये राज्य में वही वरिष्ठता प्राप्त होगी जो उनकी उत्तरवर्ती राज्य में नियुक्ति से तत्काल पूर्व अर्थात् .9.11.2000 को उनके संवर्ग/बैच में थी। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अपने विकल्प दिये गये राज्य को प्रत्यावर्तित किये जाने के पूर्व नियत तिथि की स्थिति के अनुसार नियमित आधार पर उनके द्वारा धारित पद को प्रत्यावर्तित किया जायेगा, जहॉ उपयुक्त समय के भीतर समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) की बैठकें आयोजित करके उनकी पदोन्नति, यदि पात्र पाये जाएँ, पर विचार किया जायेगा और उनको उनके ठीक नीचे के कनिष्ठों के समकक्ष ही रखे जाने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

**5– अधिसंख्य पदों का सृजन करना**

इस योजना के अंतर्गत समायोजित किए गये कर्मचारियों को, जहॉ तक संभव होगा, उनके श्रेणी जैसे कि (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा, एवं अ.पि.व.) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के लिए समायोजित किया जायेगा। तथापि, इस योजना के अंतर्गत यदि पुनः आवंटित किसी कर्मचारी के लिए कोई पद उपलब्ध न हो तो उसे इस शर्त के साथ अधिसंख्य पद का सृजन करते हुए समायोजित किया जायेगा कि अधिसंख्य पद को परवर्ती वर्षों में उपलब्ध होने वाले नियमित पदों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

**6– अनुमोदन का स्तर**

अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कर्मचारियों के आवंटन संबंधी मामलो का समन्वय करने के नोडल विभाग है, के माध्यम से प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर लिया जाएगा।

**संशोधित दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के लिये प्रस्तावित समय–सीमा**

| कम सं0 | कार्यवाही की प्रकिय | समय–सीमा |
|---|---|---|
| 1 | दिशा–निर्देशों को अधिसूचित करना | 15.04.2015 |
| 2 | विकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 15.05.2015 |
| 3 | विकल्पों की जांच करना | 29.05.2015 |
| 4 | राज्य के एसआर प्रभाग द्वारा सलाहकार समिति को प्रस्ताव सौंपना | 05.06.2015 |
| 5 | सलाहकार समिति द्वारा सिफारिशों की जांच करना | 15.06.2015 |
| 6 | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव सौंपना | 22.06.2015 |
| 7 | केन्द्र सरकार का अनुमोदन | 30.06.2015 |

भारत सरकार के उक्त दिशा--निर्देशों के अनुपालन में उक्त समय–सारिणी के अनुसार संलग्न प्रारूप पर इच्छुक पात्र कार्मिकों से दिनांक 15.05.2015 तक विकल्प

3.....